prior to 1-1-1969 has been raised. A case in the Division Bench of the Andhra Pradesh High Court is pending on this issue. However, for work beyond 48 hours a week, practically all industrial and non-industrial employees of the three Mints have been paid at double the time rate calculated on the basis of pay and all allowances including House Rent Allowance with effect from 1-6-1961.

(c) The Silver Refinery Workmen's Union and Calcutta Mint Employees Union were informed that the decision of the Andhra Pradesh High Court will be kept in view and the matter would then be referred to Ministry of Law and Ministry of Labour for advice The matter is under consideration

Committees in Ministry of Finance

- 4146 SHRI S M SIDDAYYA
 Will the Minister of FINANCE
 be pleased to state
- (a) how many Committees formed in his Ministry were functioning from 1st January, 1971 till 1st August, 1974:
- (b) the Chairman and members of each Committee and the date of its formation, and
- (c) whether the Committees have submitted their reports and whether they will be laid on the Table of the House?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI K R GANESH): (a) to (c) A statement giving the information is laid on the Table of the House [Placed in Library See No LT-8363 174]

12 hrs.

RE MOTION FOR ADJOURNMENT

भी मनु लिनये (वांना) प्रध्यक्ष महोदय, मैंने एक विशेषाधिकार का मामला दिया है। मुझे द्वाप एक मिनट मेहरवानी कर के प्रपनी वात कहने दीजिए। इस राजधानी में स्मग्लमं ग्राए हुए हैं।

प्रध्यक्ष महोदय प्राप जरा ठहरिए। एक एडजर्नमेट मोशन बाजपेयी जी ने दिया है। उन का पहले हो जाने दंश्जिए।

वाजपेयी जा, यह भ्राप न मोशन दिया है एडजनमैंट का

- 1 Government's failure ... police repression . beating of pressmen by the policemen in front of the residence of the Adviser to the Governor.
- 2 Assault of the press photographer in Surat by the smugglers in the presence of policemen
- 3 Arrest of cloth merchant in Ahmedabad on framed charges for teasinh the daughter of the police officer.

टम तरह स यह है। मैं आप में कह एडजर्नमेंट ता यह बनता नहीं है यह मिल्टिप्लिमिटी आफ फैबर्म और नामंल कोमें आफ ला एंड आडंग की बात है। यहा तक यह पहला ह---बैंदिम आफ दि प्रैंस मैंन उस के बारे में आप चाहे तो मैं हाम मिल्म्टर का यह साला है कि इस के उपर एक स्टेटमेंट है।

श्री घटल बिहारी बाजपेयी (ग्वालियर): ग्रध्यक्ष महादय श्रगर ग्राप एक मिनट मुझे दे तो मैं निवंदन रही राजगान में इन दिस राष्ट्रपति शासत है बेन्द्र सरकार कानन श्रीर व्यवस्था के लिये भी जिस्सेदार है।

दूसरी बान यह है कि यह मासला प्रम की स्वाधीनता में मर्वाधन है मरकार प्रम कामिल का जब बिल द्याता है तो प्रम की स्वाधीनता के बारे में बहुन लम्बी बोडी बाने करनी है, लेकिन प्रम बालों की वहा पिटाई हो रही है उन के ऊपर झूठे मुकदमे चलाये जा रहे है। इस मामले को वहा उठाने की आप इजाजन नहीं देंगे तो बाक कैसे बनेगी? Motion

श्रध्यक्ष महोदयः मैं ने इस को देखा । इस बारे को मैं कैसे इकट्ठा करूं ? एक में उन की स्मग्लर्स ने पिटाई की, इस का मामला है, दूसरे में पुलिस श्राफिसर की लड़की का मामला है। ये सब इकट्ठा कैसे हो सकता है ? तो यह तो बनता नहीं है। लेकिन वह वीटिंग श्राफ दि प्रैस मैंन जो है उस के लिए मैं होम मिनिस्टर से कहूंगा कि उस के ऊपर एक एक स्टेटमेंट वह दें।

श्री ग्रटल बिहारी बाजपेयी: मैं अपने ग्राप को पहली घटना तक ही सीमित रख रहा हूं। 8-9 ग्रगस्त की रात को ग्रहमदाबाद में टाइम्स श्राफ इंडिया के एक संवादाता को पुलिस ने झुठे मुकदमे में फंसा दिया।

श्रध्यक्ष महोदय : मुझे बताइये कि पुलिस की फेल्योर कहा हैं जब पुलिस वाले की लड़की को छेड़ने का मामला है।

श्री ग्रटल बिहारी बाजपेयी: वह छोड़ दीजिये। मैं पहले मामले को ले रहा हूं।

8 तारीख को क्या हुआ यह बड़ी गंभीर बात है। टाहम्स स्राफ इंडिया के एक कॉरेस्पाडेंट है जो नव निर्माण समिति के ग्रान्दोलनों के दिनों में पुसिल के खिलाफ लिखते थे जिन्होंने बम्बई के ग्रखवाों में भी पुलिस की व्यवस्था के खिलाफ लेख लिखे । पुलिस वाले उन से नाराज थे ग्रौर उन को झुठे मुकदमें में फंसा दिया। उस में भी एक लड़की को बीच में लाने की कोशिश की गई। जब प्रेस वाले दूसरे थाने में गए कि हम दूसरी रिपोर्ट लिखाएंगे तो पुलिस ग्रफसर ने रिपोर्ट लिखने से इंकार कर दिया। उसी रात के 3 बजे वे गर्वनरके एडवाइज़र के घर पर गये ऋौर एडवाइजर से मिलने की मांग कीं। मुलाकात नहीं हुई। एडवाइजर के सैकेटरी भी नहीं मिले ग्रौर पुलिस ने वहां 25 प्रैस वालों को पीटा। जन्मभूमि के जो संवादाता है श्री रवीन्द्र भट्ट उन को बहुत चोटें म्राई ग्रीर वे ग्रस्पताल में भर्ती हुये। ग्रव गुजरात के ग्रखबार वाले यह मांग कर रहे हैं कि सारे मामले की एक ग्रदालती डांच होनी

Motion

चिहिये। लेकिन ग्रदालतो जांच की इजाजत नहीं दी गई ग्रौर पुलिस वाले बदले निकाल रहे हैं गिन-गिन कर प्रैस वालों से। यह मामला सदन में भी कई बार उठाया जा चुका है लेकिन गृह मंत्री ने कोई वयान नहीं दिया ।

ग्रध्यक्ष महोदयः इस मामले में होम मिनिस्टर से कहूंगा कि एक बयान दें।

श्री शंकर दयाल सिंह (चतरा): मैं इस पक्ष में हूं कि केवल वक्तव्य इस संबंध में सदन के सानने ग्राना चाहिये।

श्री श्याम नन्दन मिश्र (वेगुसराय): हम लोगों को भी उस में कुछ कहना होगा तब? ... (व्यवधान)

12.06 hrs.

RE. PRESENCE OF SMUGGLERS
IN DELHI

अध्यक्ष महोदयः श्री मधुलिमये, स्राप कातो प्रिविलेज नहीं बनता है।

श्री मधु लिमये (वांका) : श्राप मुझे ग्रर्ज करने दीजिए। श्राप को ग्रगर स्वीकार न हो तो वह बात ग्रलग है। मैं कभी श्राप से ग्रसहमति व्यक्त नहीं करता हूं।

मुझे जानकारी मिली है कि श्री गणेश के पत द्वारा स्मग्लरों के नाम लेने के वाद—सरकार के द्वारा, हम लोग लेते तो बात दूसरी थी——थे स्मग्लर या तो भाग गए या कुछ यहां पर स्नाए हैं। मैं बहुत गंभीर बात कह रहा हूं। वे मिनिस्टरों से मिल रहे हैं, स्रधिकारियों से मिल रहे हैं, मैम्बर्स स्नाफ पालियामेंट को स्रप्नोच कर रहे हैं।... (व्यवधान)

श्री शंकर दयाल सिंह (चतरा): ये मेन्वरों के नाम बताएं कि किन किन मेम्बरों से मिल रहे हैं? इस तरह की बात नहीं श्रानी चाहिए। सारे सदस्यों को ये इस तरह से बदनाम नहीं कर सकते ... (द्यवधान) .